	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारी सहित

9.9.19

न्यायालय :– उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा।

नमांतरण वाद सं0– 04 / 2016–17

बृजनारायण द्विवेदी– अपीलकर्त्ता

बनाम

शिवनरायण दूबे– बिपक्षी

आदेश

आवेदक बृजनारायण द्विवेदी पिता स्व0 हरिहर दूबे ग्राम दूबे मरहटिया, थाना+जिला– गढ़वा के द्वारा अंचलाधिकारी, गढ़वा के नामांतरण वाद संख्या 1127 / 2004–05 के विरूद्व अपील दर्ज किया गया।

क्र0सं0	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	विषयाधिन रकबा	अभि0
01	361	07	450	1.18 एकड़	0.09½ एकड़	

वाद की कार्यवाही प्ररम्भ करते हुए उभय पक्षो को नोटिश निर्गत की गई है जिसमें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने–अपने पक्ष में स–विस्तार तर्क / पक्ष रखा गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया की उक्त वाद ग्राम दूबे मरहटिया थाना व जिला गढ़वा के खाता 07, प्लॉट संख्या 450, रकबा– 0.09½ एकड़ भूमि से संबंधित है। आवेदक का कथन है कि वे स्वयं तथा विपक्षी शिवनारायण दूबे स्व0 हरिहर दूबे के पुत्र है तथा उनके पिता के नाम से उक्त भूमि रजिस्टर II के पृष्ठ संख्या 37 / 1 पर दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया की वाद का मुख्य बिंदू यह है कि उक्त (अपने हिस्से) भूमि को आवेदक बृजनारायण दूबे के द्वारा बय–बयाना कागज अपने बड़े भाई (विपक्षी) शिवनारायण दूबे के पक्ष में बनाया गया था परंतु इसी बय बयाना के आधार पर विपक्षी के द्वारा अंचल कार्यालय गढ़वा में चुपके तरिके से बय–बयाना कागज को बदलैन बताकर नामांतरण करा लिया गया है। साथ ही उक्त नामांतरण की उन्हे (आवेदक) को कोई जानकारी भी नही दी गई।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया की वर्णित भूमि का कोई भाग आवेदक के द्वारा निबंधन नही किया गया तो बिना केवाला तथा बिना सहमती के किस आधार पर अंचल कार्यालय द्वारा नामांतरण किया गया किये गए नामांतरण को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा स्वयं द्वितीय पक्ष द्वारा न्यायालय

Scanned with CamScanner

19.9.19

में उपस्थित होकर बताया गया की नामांतरण अपील का समयावधि समाप्ति उपरांत आवेदक के द्वारा नामांतरण अपील दर्ज किया है, जिसे खारिज योग्य बताया गया विषय वस्तु की खाता संख्या 07, प्लॉट सं0– 450, रकबा– 0.09½ एकड़ भूमि जिसकी कुल रकबा– 1.18 एकड़ है जो सर्वे खतियान में रैयती दर्ज है उभय पक्ष स्वं हरिहर दूबे के पुत्र है स्व0 हरिहर दूबे के तीन पुत्र थे जिसमें उभय पक्षो को छोड़कर हरिहर दूबे भी एक भाई है जिन्हे उभय पक्षो के चाचा स्व0 सरयू दूबे को कोई संतान नही होने के कारण जगनारायण दूबे को गोद लिए थे। इस प्रकार 1.18 एकड़ भूमि के आधा हिस्से 0.59 एकड़ अन्य भाई जगनारायण दूबे को प्राप्त हुई तथा आवेदक अपने हिस्से की भूमि विक्री करते रहे। साथ ही प्रस्तावित भूमि खाता नं0– 07, प्लॉट नं0– 450, रकबा– 0.09½ एकड़ भूमि पर प्रत्यार्थी से कुल जरसम्मन प्राप्त कर दिनांक 28.02.1997 को बय–बयाना का कागज स्वतः लिख दिये तथा उसमें लिखे की लिखने की तारिख से एक वर्ष के अन्दर सम्पूर्ण 7500 रूपये नहीं लौटाये तो प्रत्यार्थी शिवनारायण दूबे का उपरोक्त भूमि तथा उस पर अवस्थित मकान पर निर्विवाद स्वामित्व एवं अधिकार हो जाऐगा।

इस प्रकार आवेदक के द्वारा जमिन के बदले पैसा प्राप्त कर चुके है।

उभय पक्षो के द्वारा अपने–अपने पक्ष में रखे तथ्य एवं लिखित बयान का अवलोकण किया एवं अंचलाधिकारी, गढ़वा के नामांतरण वाद संख्या 1127/2004–05 का भी अवलोकण किया।

उपलब्ध कागजातो के अवलोकण से प्रतीत होता है कि वाद से संबंधित भूमि खाता 07, प्लॉट 450, रकबा– 0.09½ एकड़ भूमि को आवेदक के द्वारा विपक्षी के पक्ष में बय–बयाना लिखित कागजात बनाया गया है, जिसे उभय पक्ष के द्वारा स्वीकार किया गया है।

अंचलाधिकारी, गढ़वा के द्वारा बिना रजिस्ट्री/निबंधन करवाये गए प्रस्तावित भूमि का नामांतरण श्री शिवनारायण दूबे के नाम पर कर दिया गया है जो निबंधन अधिनियम 1963 की धारा 17 का उल्लंघन है। उक्त दाखिल खारिज वाद संख्या– 1127/2004–05 में जारी किये गए नोटिस पर बृजनारायण दूबे (प्रथम पक्ष) का हस्ताक्षर भी नही है जो कि Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act 1973 के Section 14 (2) का उल्लंघन है। अतः अंचल कार्यालय, गढ़वा के दाखिल खारिज वाद संख्या 1127/2004–05 को निरस्त करने की 19.9.19 की जाती है।

अभिलेख अपर समाहर्त्ता, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

19.9.19

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

19.9.19

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
गढ़वा।

Scanned with CamScanner